



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलापुर
दाण्डिक विविध याचिका सं 2515/2025

1 - राजवीर सिंह यादव, पिता घनश्याम सिंह यादव, उम्र लगभग 36 साल, निवासी सोनचिरैया होटल के पास, देवपुरम कॉलोनी, शिवपुरी, थाना - सिटी कोतवाली शिवपुरी, जिला - शिवपुरी (म.प्र.)।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 - छत्तीसगढ़ राज्य ,जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा -कबीरधाम, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

याचिकाकर्ता हेतु:--श्री नवनीत कुमार यादव, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु :श्री प्रांजल शुक्ला, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री संजय कुमार जयसवाल, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

13/08/ 2025

1. वर्तमान दाण्डिक विविध याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 17/2025 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम द्वारा पारित दिनांक 24.07.2025 के आक्षेपित आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया है, आपराधिक परिवाद मामले संख्या 1566/2025 में विद्वान जेएमएफसी, कवर्धा, जिला-कबीरधाम द्वारा पारित दिनांक 11.07.2025 के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 437(6) के तहत जमानत आवेदन दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता आपराधिक परिवाद प्रकरण क्रमांक 1566/2025 में आरोपी व्यक्ति है, जो विद्वान जेएमएफसी, कवर्धा, जिला-कबीरधाम के समक्ष अपराध क्रमांक 181/2025 से उत्पन्न छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ए), 34(2), 59(ए) के तहत अपराध के लिए लंबित है, जो आबकारी सर्किल बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) में पंजीकृत है। यह बताया गया है कि मुखबिर से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर आवेदक के वाहन आयशर रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे



11/सीजी 2927 से 4770 बल्क लीटर शराब जब्त की है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्वेषण के पश्चात् उपरोक्त अपराध हेतु आरोप पत्र दायर किया गया है। अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप 26.04.2025 को विरचित किया गया है। चूंकि अभियोजन पक्ष अपने साक्षियों की परीक्षा करने में विफल रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता ने डिफॉल्ट जमानत देने के लिए सीआरपीसी की धारा 437 (6) के तहत एक आवेदन दायर किया है, जिसे 11.07.2025 को ही खारिज कर दिया गया है, जिसे अपीलीय के समक्ष पुनरीक्षण में चुनौती दी गई है और विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए इसे भी खारिज कर दिया गया है, जिसे वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 26.04.2025 को आरोप तय किए गए थे और विचारण शुरू होने के 60 दिन बाद भी आज तक मामले की विचारण पूरी नहीं हुई है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अपराध जनजातीय हैं और मामले के विचारण सीआरपीसी की धारा 437(6) के तहत 60 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए थी और यदि विचारण पूरी नहीं होती है, तो अभियुक्त डिफॉल्ट जमानत का हकदार है। वर्तमान मामले में भी वाद 60 दिनों की अवधि के भीतर समाप्त नहीं हुआ है और इसलिए, याचिकाकर्ता भी डिफॉल्ट जमानत का हकदार है।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया और कहा कि 26.04.2025 को आरोप तय कर दिए गए थे और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए मामला 08.05.2025 को नियत किया गया था। साक्षियों को उपस्थित होने के लिए नियमित रूप से विचारण न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किए जाते हैं, लेकिन उन्हें बिना तामील किए वापस कर दिया जाता है, जिसके कारण अभियोजन पक्ष के गवाहों की समय पर परीक्षण नहीं की जाती है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए, वह डिफॉल्ट जमानत का हकदार नहीं है और विद्वान निचली अदालत और पुनरीक्षण अदालत द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से न्यायोचित है और याचिका खारिज किए जाने योग्य है। उन्होंने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 437(6) के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन कुछ सीमाएँ हैं। विद्वत विचारण न्यायालय वाद समाप्त करने का प्रयास कर रहा है तथा साक्षियों को उनकी उपस्थिति हेतु नियमित रूप से समन जारी किए जाते हैं, परंतु उनकी गैर-उपस्थिति के कारण, मुकदमा समय पर समाप्त नहीं हो सका।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा याचिका के साथ संलग्न सामग्री हेतु अध्ययन किया है।

6. यहाँ सी. आर. पी. सी. की धारा 437 (6) के प्रावधानों को उद्धृत करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है: ---

“437. कब गैर-जमानती अपराध के मामले में जमानत ली जा सकती है:-----

□□□□□



(6) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में, किसी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का विचारण मामले में साक्ष्य लेने के लिए नियत प्रथम तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति, यदि वह उक्त संपूर्ण अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहता है, मजिस्ट्रेट के समाधानप्रद रूप में जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अन्यथा निदेश न दे।

7. अतुल बग्गा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में, जिसकी रिपोर्ट 2009 (3) सीजीएलजे 448 में दी गई थी, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने कंडिका 11 और 13 में कहा है कि:---

11. निर्धारण हेतु यह प्रश्न उठता है कि संहिता की धारा 437 की उपधारा (6) के अंतर्गत जमानत देने से इनकार करते समय मजिस्ट्रेट को किन कारकों पर विचार करना चाहिए। मेरी सुविचारित राय में, अपराध की गंभीरता और दंड की मात्रा के अलावा, जमानत देने से इनकार करते समय मजिस्ट्रेट को अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित में से एक या अधिक कारकों पर विचार करना चाहिए:

- (क) अपराध का समग्र प्रभाव और ऐसे अपराध के आरोपी व्यक्ति की रिहाई से समाज पर पड़ने वाला प्रभाव,
- (ख) अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना,
- (ग) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने की संभावना, और अंत में,
- (घ) यदि अभियुक्त के कारण 60 दिनों की अवधि के भीतर वाद के समापन में विलंब हो।

13. इस प्रकार, उच्च परिमाण के आर्थिक अपराधों की गंभीरता, जिसके लिए याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया था, अपराध का समग्र प्रभाव और समाज पर ऐसे अपराध के आरोपी व्यक्ति की रिहाई, संभावना है कि याचिकाकर्ता, यदि जमानत पर रिहा हो जाता है तो गवाहों को प्रभावित करने या अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है, तथ्य यह है कि अन्य सह-अभियुक्त फरार थे, संहिता की धारा 437 की उप-धारा (6) के तहत जमानत से इनकार करने के लिए सुसंगत कारक होंगे।

8. अतुल कुमार श्रीवास्तव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में, जो 2020 एससीसी ऑनलाइन अध्याय 2373 में प्रकाशित हुआ था, 437 (6) सीआरपीसी के दायरे और प्रकृति पर विचार करते हुए, कानूनी प्रस्ताव तय किया गया है कि धारा 437 (6) सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को प्रदत्त अधिकार पूर्ण नहीं है और यह उक्त प्रावधान में बताई गई शर्तों के अधीन है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:---

..... दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 437 की उप-धारा (6) के तहत भी ऐसा ही प्रावधान है जो पुरानी संहिता की धारा 497 (3 ए) के अनुरूप है। इस प्रावधान का उद्देश्य किसी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी के रूप में अनावश्यक रूप से अभिरक्षा में लिए बिना मुकदमे को गति प्रदान करना है, जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न दें....."

9. हाल ही में, "सुभेलाल @ सुशील साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य" एआईआर 2025 एससी 1483 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 437(6) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के



लिए अपने फैसले में कुछ शर्तों का अवलोकन किया है। अपने फैसले के पैरा 13 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि:---

13. जहां तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के मौलिक अधिकार का संबंध है, जहां तक यह शीघ्र सुनवाई से संबंधित है, इसे संहिता की धारा 437(6) के तहत अभियुक्त के अधिकार के संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि संहिता की धारा 437(6) के तहत अभियुक्त के अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित अधिकार से बिल्कुल अलग हैं। संहिता की धारा 437(6) अपने दायरे में केवल शीघ्र सुनवाई का अधिकार लेती है, जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अर्थ बहुत व्यापक है।”

10. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और गंभीरता पर विचार किया है, जो आम जनता को प्रभावित कर सकता है। उपर्युक्त सभी आधारों और इस तरह के गंभीर परिमाण के संचयी दृष्टिकोण को देखते हुए कि उनकी रिहाई से बड़े पैमाने पर समाज प्रभावित होने की संभावना है, यह न्यायालय इस राय का है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के साथ-साथ क्षेत्र में निर्धारित कानून की उचित सराहना के बाद आदेश पारित किया है, जिसमें मुझे कोई अवैधता या विकृति नहीं लगती है जो आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप का औचित्य रखती है क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रयोग किए गए विवेक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना है जब तक कि विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से, विकृत रूप से या मनमौजी तरीके से किया गया हो, लेकिन वर्तमान मामले में, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि विवेक का प्रयोग कानून के विपरीत तरीके से किया गया है।

11. परिणामस्वरूप, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत दायर याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

12. मामले को समाप्त करने से पहले, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय पर यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि न्यायालय द्वारा समन शीघ्र जारी किया जाए तथा वाद को यथाशीघ्र समाप्त किया जाए।

13. इस आदेश की एक प्रति मामले के त्वरित निराकरण हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

सही/-

(संजय कुमार जयसवाल)

न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

